राजस्व अपील प्र.क्र.   /2012

प्रस्तुति दिनांक 28.08.2012

श्रीमान् न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-3000-PBR/12

1. आशीष पिता गुरूदीन कौशल
   व्यवसाय– अधिवक्ता
   निवासी–58, स्वामी विवेकानंद नगर, इन्दौर

2. अमोल पिता गुरूदीन कौशल
   निवासी–58, स्वामी विवेकानंद नगर, इन्दौर

3. श्रीमती सुन्दर देवी पति श्री संतराम कौशल
   निवासी–बगीचा नम्बर 1 किशनपुरा महू

4. कुसुम पिता बाबदीन कौशल
   निवासी–7/7, परदेशीपुरा, इन्दौर

———अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. युसुफ पिता यासीन
2. आमीन पिता यासीन
3. इरफान पिता इस्लाम
4. सागर–बी, मलका–बी, हमीदा–बी, पिता दाउद
5. यासीन व इस्लाम पिता दाउद
   सभी निवासी ग्राम खजराना गांव तह. व जिला इन्दौर
6. मृत अब्बास पिता गुलाम तर्फे वारिस
   अ. श्रीमती खातून बी पति अब्बास
   ब. मुंशी पिता अब्बास
   स. निजाम पिता अब्बास
   द. आजाद पिता अब्बास
   सभी निवासी ग्राम खजराना गांव तह. व जिला इन्दौर
7. प्रशांत सागर बिल्डर एवं डेवलर्प्स
   तर्फे डायरेक्टर अनिल पटेल पिता कर्सन
   भाई पटेल पता महासागर कार्पोरेट
   10/4, मनोरमागंज इन्दौर

———प्रत्यार्थीगण

म.प्र.भु.रा.स.1959 की धारा 44 (2) (ग) के अन्तर्गत अपील

महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन है कि:–

अविरत––2

प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इन्दौर के अपील प्रकरण क्र.64/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21/02/2012 से व्यथित होकर माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थीगण को सफल होने की पूर्ण सम्भावना है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

1. यह कि, ग्राम खजराना स्थित सर्वे नम्बरा 204, 215, 1114, 1115, 1116, 1127, 1142, 1146, 1159, 1160, 1164 एवं 214 कुल सर्वे नम्बर 12 कुल रकबा 14.70 एकड़ हलका नम्बर 16 (नया 39) के संयुक्त खतोदार अब्बास पिता गुलाब, दाउद व सत्तार पिता इदा के मध्य बंटवारा प्र.क्र.51/अ–6/1979–80 दिनांक 04.02.80 तहसीलदार इन्दौर के समक्ष स्वीकृत होकर सर्वे नम्बर 1160, 1164, 1127, 1146, 1114, 1115, 1116, 204, 215 खतोदार अब्बास के पक्ष में हुआ। अब्बास ने उक्त भूमि में से सर्वे नं. 1114, 1115, 1116 भूमि का भाग पुत्र मुंशी को अपने खाते में से सन् 1980 में ही दे दी थी। शेष भूमि खसरे दाउद व सत्तार के पक्ष में बंटांकित हो गए थे। अब्बास पिता गुलाब व मुंशी पिता अब्बास ने अपने हिस्से की उक्त भूमि की हरियाणा गृह निर्माण सहकारी संस्था को विक्रय कर आधिपत्य दे दिया था। एक मुखत्यार नामा पंजीकृत भी संस्था के हित में करा दिया था। संस्था ने सर्वे नम्बर 1160/2, 1164/2 कुल रकबा 1.19 एकड़ दिनांक 12.11.1999 को अपीलार्थीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर दिया था। आज उपरोक्त भूमि सर्वे नं.1160/2, 1164/2 अपीलार्थीगण के आधिपत्य में है।

अविरत––3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3000–पीबीआर/2012 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08–02–2017	अपीलार्थी अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित। अपीलार्थीपक्ष व उसके अधिवक्ता को समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित । प्रकरण सूचना उपरांत अपीलार्थी पक्ष की अनुपस्थित में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । **अध्यक्ष**	